रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 350] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 17, 1973/आश्विन 25, 1895

No. 350] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 17, 1973/ASVINA 25, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## MINISTRY OF FINANCE

### (Department of Economic Affairs)

### Office of the Controller of Capital Issues

NOTIFICATION

*New Delhi, the 17th October 1973*

**S.O. 546(E).**—In exercise of the powers conferred by section 11 of the Capital Issues (Control) Act, 1947 (29 of 1947), the Central Government hereby appoints Shri P. K. Nanda to be a member of the Advisory Committee on Capital Issues Control, upto and including the 22nd December 1974, *vice* Shri V. G. Rajadhyaksha resigned and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. 762(E) dated the 23rd December, 1972, namely:—

In the said notification, for serial No. 3, the following shall be substituted, namely:—

"3. Shri P. K. Nanda."

[F. 16(3)-CCI/72.]

R. M. BHANDARI, Jt. Secy.

## वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

पूंजी निर्गम नियंत्रक का कार्यालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 1973

**एस०ओ०** 546(अ).—पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम 1947 (1947 का 29 वां) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा श्री वी० जी० राजाध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र दे दिये जाने पर, उनके स्थान पर 22 दिसम्बर 1947 (इसमें यह तारीख भी शामिल है) तक श्री पी० के नन्दा को पूंजी निर्गम नियंत्रण विषयक सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त करती है और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या 762 (अ) दिनांक 23 दिसम्बर, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 3 के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"3. श्री पी० के० नन्दा"

[एफ० 16(3)—सी० सी० आई०/72]

रणजीत मल भंडारी, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973